

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 204/2019

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि०
शाखा कार्यालय:- 711/4, प्रथम तल, के०सी० कॉम्प्लेक्स, दौलत बाग के सामने,
अजमेर (राज०)-305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारीप्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर
बनाम

- (1) श्री महमूद खान पुत्र श्री असद खान,
(अ) 168, गरीब नवाज कॉलोनी, गोगल, तहसील व जिला अजमेर(राज०)
(ब) ग्राम गोगल, ग्राम पंचायत गोगल, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व
जिला अजमेर (राज.)
- (2) श्रीमती शहनाज बेगम पत्नि श्री मकबूल खान,
(अ) 168, गरीब नवाज कॉलोनी, गोगल, तहसील व जिला अजमेर(राज०)
(ब) ग्राम गोगल, ग्राम पंचायत गोगल, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व
जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्रक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री संजय सिंह राजावत

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 26.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री महमूद खान पुत्र श्री असद खान एवं श्रीमती शहनाज बेगम पत्नि श्री मकबूल खान, निवासी:- 168, गरीब नवाज कॉलोनी, गोगल, तहसील व जिला अजमेर(राज०) को दिनांक 20.03.2015 को रुपये 3,50,000/- (अक्षरे तीन लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम गोगल, ग्राम पंचायत गोगल, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज०) स्थित पट्टा नं० 04 की सम्पत्ति, जो श्री महमूद खान पुत्र श्री असद खान के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैं:-पूर्व में:-श्री आबिद हुसैन की सम्पत्ति, पश्चिम में:-मकान का रास्ता, उत्तर में:-आम रास्ता व मकान का रास्ता, दक्षिण में:-श्री शहनाज पत्नि श्री महमूद खान की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 14.03.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 16.03.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 3,16,530/- (अक्षरे तीन लाख सोलह हजार पांच सौ तीस रुपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities



Delaram
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक ग्राम गेगल, ग्राम पंचायत गेगल, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित पट्टा नं0 04 की सम्पति, जो श्री महमूद खान पुत्र श्री असद खान के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैं:- पूर्व में:-श्री आबिद हुसैन की सम्पत्ति, पश्चिम में:-मकान का रास्ता, उत्तर में:-आम रास्ता व मकान का रास्ता, दक्षिण में:-श्री शहनाज पत्नि श्री महमूद खान की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।



Delame
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर